


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><b>मनोज कुमार शर्मा बनाम कुँज बिहारी</b><br>अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022 / 437  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तामील में<br>जारी हुए |
|------------|---|---|
| 29.11.22   | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अपीलान्ट स्वयं भी उपस्थित। अपीलान्ट की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई एवं अपीलान्ट की पहचान के सम्बन्ध में उनके वाहन ड्राइविंग लाईसेन्स नम्बर आरजे-14 / डीएलसी / 04 / 387230 दिनांक 20.12.2004 की छाया प्रति भी पेश की एवं अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत विद्धो फरमाने पत्रावली पेश कर कथन किया है कि उक्त प्रकरण को अपीलान्ट आगे चलाना नहीं चाहता है तथा उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर विद्धो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को विद्धो फरमाने के आदेश करावें।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा इसी स्तर पर विद्धो करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट स्वयं द्वारा अपनी अपील विद्धो किये जाने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।</p> |   |

  
 (अन्तरसिंह नेहरा)  
 संभागीय आयुक्त,  
 जयपुर